भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2466
दिनांक 06 अगस्त, 2024 के लिए प्रश्न

महिलाओं को डेयरी हेतु सहायता

2466. सुश्री कंगना रनौत:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषकर हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी चलाने वाली महिलाओं को विश्व स्तरीय नवीनतम उच्च नस्ल की गायें उपलब्ध कराने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री
(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) पशुपालन और डेयरी विभाग देशी बोवाईन नस्लों के विकास और संरक्षण, बोवाईनों के आनुवंशिक उन्नयन और बोवाईन के दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि पर ध्यान देते हुए राष्ट्रीय गोकुल मिशन का कार्यान्वयन कर रहा है,जिससे दुग्ध उत्पादन को किसानों के लिए अधिक लाभकारी बनाया जा सके जिनमें महिला डेयरी किसान भी शामिल हैं।

(I) हिमाचल प्रदेश सहित देश में डेयरी किसानों को सहायता देने के लिए नस्ल विकास हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं -

(i) सैक्स सॉर्टेड वीर्य तकनीक का प्रयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: इस घटक के अंतर्गत देश में अन्य बोवाईन नस्लों के साथ-साथ गोपशु की देशी नस्लों के लिए सैक्स सॉर्टेड वीर्य उत्पादन प्रारंभ किया गया है। बछियां पैदा करने (90% सटीकता के साथ) के लिए सैक्स सॉर्टेड वीर्य महत्वपूर्ण है, किसानों को सुनिश्चित गर्भावस्था पर 750 रुपये की सब्सिडी या सैक्स सॉर्टेड वीर्य की लागत के 50% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2021-22 में इस घटक के तहत 760 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

(ii) आईवीएफ का उपयोग करके त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: इस घटक के तहत, डेयरी किसानों के लिए बछियां पैदा करने के लिए आईवीएफ तकनीक और सैक्स सॉर्टेड वीर्य के साथ कृत्रिम गर्भाधान का लाभ उठाया जा रहा है। आईवीएफ बोवाईन के तीव्र आनुवंशिक उन्नयन के लिए महत्वपूर्ण साधन है। जो काम 7 पीढ़ियों (गोपशुओं और भैंसों के मामले में 21 वर्ष) में किया जाता है, वह आईवीएफ के माध्यम से 1 पीढ़ी (गोपशुओं और भैंसों के मामले में 3 वर्ष) में किया जा सकता है। किसानों को प्रति सुनिश्चित गर्भावस्था 5000 रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है जिनमें महिला डेयरी किसान भी शामिल हैं।

(iii) अन्य बोवाईन नस्लों सहित गोपशु की देशी नस्लों के उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों के वीर्य का उपयोग करके बोवाईनों के बीच कृत्रिम गर्भाधान कवरेज बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का कार्यान्वयन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं किसानों के द्वार पर निशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में एनएआईपी के तहत अब तक 16.35 लाख पशुओं को कवर किया गया है, 20.88 लाख कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और 13.30 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

(iv) हिमाचल प्रदेश में जर्सी नस्लों के उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांडों के उत्पादन के लिए संतति परीक्षण का कार्यान्वयन। इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्पादित उच्च आनुवंशिक गुणता वाले सांड़ों

को गुणवत्तापूर्ण हिमित वीर्य खुराकों के उत्पादन के लिए वीर्य स्टेशनों को उपलब्ध कराया जाता है।

(v) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों (मैत्री) को शामिल करना। किसानों के द्वार पर एआई सेवाओं की प्रदायगी के लिए राज्य में अब तक 43 मैत्री शामिल किए गए हैं।

(II) निम्नलिखित योजनाओं के तहत किसानों को सब्सिडी और ब्याज सबवेंशन के रूप में सहायता उपलब्ध कराई गई है जिनमें महिला किसान भी शामिल हैं:

(i) भारत सरकार ने डेयरी किसानों सहित पशुपालक किसानों को उनकी कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) सुविधा प्रदान की है, जिसमें स्वामित्व/किराए पर/पट्टे पर शेड वाले काश्तकार किसानों सहित, व्यक्तिगत या संयुक्त उधारकर्ता किसान, संयुक्त देयता समूह स्वयं-सहायता समूह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ii) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ) – इस योजना के तहत एएचआईडीएफ के तहत ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को 3% ब्याज सबवेंशन उपलब्ध कराया जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य में, पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष में इस योजना के तहत 45.08 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ कुल 4 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं।

******